आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 87/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
इण्डियन बैंक शाखा– मानसरोवर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. श्री शिव प्रकाश शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र शर्मा,
2. श्रीमती लक्ष्मी शर्मा पत्नी श्री शिव प्रकाश शर्मा,
पताः– बागड़ा सदन, कालवाड़ रोड़, एसबीबीजे के सामने, झोटवाड़ा, जयपुर।
3. श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री कैलाश शर्मा,
पता– ए–33, सैन कॉलोनी, बैंक ऑफ बड़ौदा, रेल्वे स्टेशन के सामने, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :– श्री रितेश यादव, अधिवक्ता, प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश **दिनांक 04.08.2022**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.06.2016 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री शिव प्रकाश शर्मा व श्रीमती लक्ष्मी शर्मा के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति 181, महात्मा गांधी नगर, डीसीएम, अजमेर रोड़, जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज एवं श्री सुभाष बिश्नोई के स्वामित्त्व की संपत्ति ऑफिस नं. 616 एवं 617, छठी मंजिल, सोनी पेरिस पॉइन्ट, प्लॉट नं. ए–26–ए, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर, क्षेत्रफल 538.12 वर्गफीट को बंधक एवं स्टॉक एण्ड बुक डेब्थ को हाइपोथिकेट कर कुल राशि 01,51,57,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.03.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को 01,51,57,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 01,56,27,777.60/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 04.03.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में 13(2) के नोटिस को प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री श्याम सुन्दर पुत्र स्व. श्री हनुमान विश्नोई के स्वामित्व की सम्पति 181, महात्मा गांधी नगर, डीसीएम, अजमेर रोड़, जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज एवं श्री सुभाष बिश्नोई के स्वामित्त्व की संपत्ति ऑफिस नं. 616 एवं 617, छठी मंजिल, सोनी पेरिस पॉइन्ट, प्लॉट नं. ए–26–ए, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर, क्षेत्रफल 538.12 वर्गफीट एवं हाइपोथिकेटेड स्टॉक एण्ड बुक डेब्थ का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक **04.08.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)